

विद्युत सुरक्षा निदेशालय

कार्यपूरक प्रमाण-पत्र

(राज्य सरकार के अनुज्ञप्ति (लाइसेन्स) प्राप्त ठेकेदार द्वारा भरा जायेगा)

उपभोक्ता/स्वामी का नाम दिलीप कुमार

पिता/पति का नाम रामबहादुर

ग्राम/मोहल्ला इमामगढ़ माहुल रावास

परिसर की अवस्थिति-

पो-माहुल त.प.स.पु.

वोल्टता और प्रदाम की प्रणाली-

डि.ओ.एम.ग.ड.

1. वोल्टता

2. कलाओं (फ्रेजों) की संख्या

3. ए० सी० डी० सी०

220 V.

10

ए० सी०

वायरिंग का प्रयोजन-

वायरिंग का प्रकार (बटन, कन्ड्यूट इत्यादि)

संस्थापना की विशिष्टियाँ

पूरे वायर कन्ड्यूट

220/230 वोल्ट्स							400/440 वोल्ट्स		उच्च अति उच्च वोल्ट्स संस्थापन	
फेज 1		फेज 2		फेज 3						
संख्या	कुल संख्या	संख्या	कुल संख्या	संख्या	कुल संख्या		संख्या	कुल	संख्या	कुल क्षमता

31.12.11 = 3 हास पावर

1.

1. बलियों के प्वाइन्ट

2. पंखों के प्वाइन्ट

3. प्लग प्वाइन्ट

4. मोटरें/जनरेटर्स

(पूर्ण ब्यौरा दिया जाये)

योग

3 हास पावर (इष्टतम)

2. अन्य उपस्कर (पूर्ण ब्यौरा दिया जाय)

1.

2.

कुल संयोजित भार किलोवाट में-

अधिकतम करेन्ट माँग एम्पीयर में-

(कुल संयोजित भार के आधार पर)

3 हास पावर 10 (इष्टतम)
4.5 A.M.

(2)

विद्युत का हिसाब (विद्युतरोधी प्रतिरोधी कम से कम एक मेगा बाम होगा अथवा उतना होगा जितना मानक संस्थान द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय।

ठेकेदार द्वारा विद्युतरोधी प्रतिरोधी के परीक्षण का परिणाम-

(i) फेज अर्थ के बीच- फेज 1 व अर्थ
50 MΩ

फेज 2 व अर्थ
X MΩ

फेज 3 व अर्थ
X MΩ

(iii) तारों के मध्य फेज 1 व अर्थ
50 MΩ

फेज 2 व अर्थ
X MΩ

फेज 3 व अर्थ
X MΩ

नियम-29

- बतायें कि वायरिंग का कार्य संयुक्त सामग्री तथा उपकरण भारतीय मानक संस्थान व्यवहार संहिता के अनुसार है।
- बतायें कि प्रत्येक सर्किट अलग-अलग स्विचों द्वारा नियंत्रित है।
- बतायें कि समस्त स्विच विद्युत मान्य (जीवन) चालकों पर लगाये गये।

नियम-32

बतायें कि दो तार प्रणाली का अर्थ वायर तथा बहुतार प्रणाली के भूसम्पकित न्युट्रल वायर पर स्थायी प्रकृति का सूचक लगाया गया है जिससे कि ऐसे का विद्युतमय (जीवन चालक से) सभिन्न किया जा सके।

(सत्यापन प्रमाण-पत्र)

मैं आदित्य ट्रेडिंग कं० प्राप्त ठेकेदार, लाइसेन्स संख्या AGH-123 निम्न का सत्यापन करते हुये घोषणा करते है कि-

- पूर्वोक्त विद्युत संस्थापन कार्य मेरे द्वारा किया गया है।
- पूर्वोक्त अंकित संस्थापन का विद्युतरोधी का परीक्षण मेरे/मेरे सुपरवाइजर द्वारा किया है एवं उसका परिणाम मेरे/मेरे सुपरवाइजर द्वारा अंकित किया गया है।
- संस्थापन कार्य भारतीय विद्युत नियम-1986 एवं भारतीय मानक संस्थान को व्यवहार संहिता के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है।
- उपरोक्त मेरे/हमारे निम्नांकित स्टाफ द्वारा किया गया।

वायरमैन का नाम संजय सिंह परमिट संख्या 377/0 वैधता की तिथि 26/08/2023

राजनीत सिंह

पर्यवेक्षक नाम प्रमाण पत्र संख्या 6744 वैधता तिथि 20/06/2025

हस्ताक्षर

राजनीत सिंह

परेन्टिस का नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक : ...19/07/2023,

(3)

Shivnandan Kumar

विद्युत ठेकेदारी की फर्म का नाम

लाइसेन्स संख्या ..A.G.H.-123

लाइसेन्स श्रेणीA-1234

वैधता का दिनांक ...31/03/2024

ठेकेदार के हस्ताक्षर

M/S. Anitya Trading Co.

Proprietor

घोषणा

(उपभोक्ता द्वारा किया जाय)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि राज्य विद्युत परिषद लाइसेन्सी द्वारा विद्युत ऊर्जा के प्रयास हेतु निर्धारित शर्तों एवं भारतीय विद्युत नियम 1956 के प्राविधानों का अनुपालन मेरे द्वारा ठीक प्रकार किया गया है। मुख्य फ्यूज की अधिकतम क्षमता4.5 A.M. एम्पीयर से अधिक नहीं है तथा संस्थापक में किसी भी प्रकार बढ़ोत्तरी अथवा ओवर लोडिंग राज्य विद्युत परिषद लाइसेन्सी द्वारा अनुज्ञा प्राप्त होने पर ही की जायेगी।

विलीपुत्र

दिनांक19/07/2023,

हस्ताक्षर

उपभोक्ता का नाम एवं

परीक्षण रिपोर्ट

(सप्लायर के प्रतिनिधि द्वारा भरी जाय)

विद्युतरोधी प्रतिरोधी का परिणाम-

(i) फेज व अर्थ के बीच- फेज 1 व अर्थ फेज 2 व अर्थ फेज 3 व अर्थ

(ii) तार के बीच फेज 1 व अर्थ फेज 2 व अर्थ फेज 3 व अर्थ

विद्युत संस्थापन में पायी कमियाँ (यदि कोई हो) एवं कमियों को दूर कराने हेतु कृत कार्यवाही-

1.

2.

3.

4.

प्रदायकर्ता (सप्लायर) के निरीक्षणकर्ता

का नाम व हस्ताक्षर

दिनांक :

(4)

विद्युत सुरक्षा निदेशालय का प्रमाणक

निरीक्षण का परिणाम
(विवरण संलग्न किया जाये)

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर और
पद नाम

निरीक्षण तिथि

07/08/2011

पद नाम

हस्ताक्षर

07/08/2011